न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2017 निगरानी

1. रामकरण पुत्र राजल्या
2. बाबूलाल पुत्र रामप्रताप
3. गिर्राज पुत्र गंगाबिशन
4. सज्जन पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा
2. सचिव ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा

गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द पंचायत समिति बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा दिनांक 20.09.2017

उपस्थिति : श्री नवीन कुमार अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री श्याम सुन्दर शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 व 2।

—:निर्णयः— दिनांकः 08.3.2018

संक्षिप्त में निगरानी प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकार के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता सं0 नया 19 पुराना 17 आराजी खसरा नम्बर 269 लगायत 278 तथा खसरा नम्बर 280 लगायत 285 एवं आराजी खसरा नम्बर 289 कुल किता 18 कुल रकबा 3.02 है0 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जो कि निगरानीकार एवं उनके अन्य भाई—बन्धों की सहखातेदारी एवं कब्जा काश्त की शामलाती भूमि है। गैरनिगरानीकार ने विधि विरूद्ध तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद भी दिनांक 20.9.2017 को निगरानीकार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 289 में होकर सुखाचार मानते हुए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 ए के तहत रास्ता खोलने का निर्णय पारित करा दिया। उक्त निर्णय दिनांक 20.9.2017 के विरूद्ध निगरानीकार द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 20/2017 निगरानी

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान को तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बडियाल खुर्द पंचायत समिति बांदीकुई का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम 2012 (2012 क1) द्वारा नई धारा 251 ए अन्तःस्थापित की गई है जो 18 जनवरी 2012 से लागू हो चुकी है। उक्त धारा 251ए "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना" के प्रावधान करती हे। उपरोक्त धारा में प्रकरण की सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को ही प्राप्त है। उक्त धारा के तहत सुनवाई एवं निर्णय का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। गैरनिगरानीकार ने उक्त निर्णय पारित किये जाने से पूर्व निगरानीकार को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। न्यायिक प्रक्रियाओं की पालना नहीं की गई। गैर निगरानीकार ने अपने निर्णय दिनांक 20.9.2017 में एस.डी.एम महोदय बांदीकुई के आदेशानुसार का उल्लेख किया है परन्तु इस प्रकार का कोई आदेश श्रीमान एस.डी.एम बांदीकुई द्वारा पारित ही नही किया गया है। प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता खुलवाने उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को दिनांक 15.09.2017 को दिया जिसके साथ एक दिवस पूर्व की मौका रिपोर्ट संलग्न है। बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर ग्राम पंचायत दिनांक 20.09.2017 के अनुसार 251 ए के तहत रास्ता खोलने का निर्णय पारित किया गया है। जबकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जाने के प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर निर्णय दिया गया हैं। जो निरस्तनीय हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकार द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया की ग्राम पंचायत निवासियों की रास्ता रोकने बाबत शिकायत पर ग्राम पंचायत द्वारा सही निर्णय दिया गया है। रास्ता जो करीब 500 वर्षो से चालू था उसको बन्द कर दिया गया।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जिसको चालू करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सही रूप से निर्णय दिया गया है। निगरानीकार अपनी मेढ को बढाकर रास्ते पर अतिक्रमण करना चाहता है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.09.2017 को पारित निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के आदेशानुसार पारित किया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा ग्राम पंचायत बडियालखुर्द से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बडियालखुर्द पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा ग्राम कंवरपुरा स्थित खसरा नं. 289 में से होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ता खोलने हेतु निर्णय दिनांक 20.09.2017 पारित किया गया है, किन्तु उक्त धारा के तहत सुनवाई व निर्णय का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नही होकर उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बडियालखुर्द पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 20.09.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि ग्राम पंचायत समुचित धाराओ में प्रकरण में निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा